उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या-81/ग्यारह-2-25-9(47)/17-टी0सी0-274-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(339)-2025

लखनऊः दिनांकः 13-02-2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) तथा धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उत्तर प्रदेश अधिनियम-1-2017-आदेश-(06)-2017 तारीख 30 जून, 2017 में एतद्द्वारा निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, अर्थात:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,

(क) अनुसूची I में- 2.5%, प्रविष्टि क्रम संख्या 98क और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी अर्थात-

"98ख	1904	फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (FRK)

(ख) अनुसूची III में- 9%, क्रम संख्या 15 के समक्ष स्तम्भ (3) में शब्द "जिसे सामान्यतः मुरकी के रुप में जाना जाता है" के पश्चात शब्द "फ़ोर्टिफ़ाइड राइस कर्नेल (FRK)" रख दिये जायेंगे-

(ग) अनुसूची VII के पश्चात स्पष्टीकरण में खण्ड (ii) और इसके साथ दिये गये परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

(ii)'प्री पैकेज्ड और लेबल किए गए'पद का तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जो खुदरा विक्रय के लिए आशयित हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा नहीं है, जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 2 के खंड (ठ) में परिभाषा के अनुरुप'पूर्व पैक'हैं जहां, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009, (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन घोषित करने के लिए आवश्यक माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।'

2- यह अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(एम0 देवराज)

प्रमुख सचिव।

Signed by
M Devaraj
Date: 13-02-2025 12:20:57